भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 4004

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

राज्यों के ऋण और देयताएं

4004. श्री सुनील बोस:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, सरकार और राज्य सरकारों के ऋण और अन्य देयताओं की मात्रा कितनी है और सभी राज्यों का कुल संयुक्त ऋण और देयताएं राज्यवार कितनी हैं;

(ख) देश के उन पांच राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनका ऋण से जीडीपी अनुपात क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों का संयुक्त ऋण से जीडीपी अनुपात सरकार के अनुपात से किस प्रकार तुलनीय है; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य के वित्त पर बजट से इतर उधारी और आकस्मिक देयताओं के प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख)**:** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 'राज्य वित्त: बजट का अध्ययन' में प्रकाशित सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, सभी राज्य सरकारों की अनुमानित 'ऋण एवं अन्य देयताएं' तथा राज्य-वार 'ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात' घटते क्रम में **अनुबंध-I** में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों की अनुमानित संयुक्त देयताएं 2,67,35,462 करोड़ रुपए है।

(ग) केन्द्र सरकार के ऋण से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात तथा सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के ऋण से जीएसडीपी के अनुपात का विगत पाँच वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(प्रतिशत में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (संशोधित अनुमान)
राज्य एवं संघ-राज्य क्षेत्र	26.6	31.0	29.1	28.2	28.5
केन्द्र सरकार	52.3	61.4	58.8	57.9	58.1

(घ) सभी राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम लागू किए हैं। राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की निगरानी संबंधित राज्य विधान मंडलों द्वारा की जाती है। कुछ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष तंत्रों द्वारा बजट से इतर उधारी,जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाए जाने हैं, के उदाहरण वित्त मंत्रालय के संज्ञान में आए थे। ऐसी उधारियों द्वारा राज्यों के निवल उधार सीमा (एनबीसी) को दरकिनार करने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मार्च, 2022 में यह निर्णय लिया गया और राज्यों को सूचित किया गया कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष तंत्रों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से और/या करों/उपकर या राज्य के किसी अन्य राजस्व के समनुदेशन द्वारा चुकाया जाना है, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत सहमति जारी करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा ही ली गई उधारी के रूप में माना जाएगा। वर्ष 2021-22 से राज्यों द्वारा घोषित बजट से इतर उधारी का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

******

दिनांक 18.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 4004 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध-I

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्य सरकारों की अनुमानित बकाया देयताएं और ऋण से जीएसडीपी अनुपात घटते क्रम में

क्र.सं.	राज्य	अनुमानित बकाया देयताएं (करोड़ रुपए में)	ऋण से जीएसडीपी का अनुपात (प्रतिशत में)
1	अरुणाचल प्रदेश	25,464	57.0
2	पंजाब	3,78,453	46.6
3	हिमाचल प्रदेश	1,02,594	45.2
4	नागालैंड	20,197	40.0
5	मेघालय	23,145	39.0
6	पश्चिम बंगाल	7,14,196	38.0
7	बिहार	3,61,522	37.3
8	केरल	4,71,091	36.8
9	मणिपुर	19,917	36.7
10	राजस्थान	6,37,035	35.8
11	सिक्किम	19,038	35.0
12	आंध्र प्रदेश	5,62,557	34.7
13	उत्तर प्रदेश	8,57,844	31.8
14	मध्य प्रदेश	4,80,976	31.6
15	मिजोरम	14,201	31.6
16	हरियाणा	3,69,242	30.4
17	तमिलनाडु	9,55,691	30.3
18	गोवा	35,724	30.2
19	छत्तीसगढ़	1,63,266	29.1
20	त्रिपुरा	26,607	27.9
21	असम	1,77,983	27.5
22	झारखंड	1,34,867	26.6
23	कर्नाटक	7,25,456	26.5
24	तेलंगाना	4,42,298	26.2
25	उत्तराखंड	95,408	24.2
26	महाराष्ट्र	8,12,068	19.0
27	गुजरात	4,94,436	17.9
28	ओडिशा	1,54,960	16.3

दिनांक 18.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 4004 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध-II

राज्यों द्वारा घोषित बजट से इतर उधारी का वर्ष-वार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	6,288	1,976	613	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3	असम	239	853	1,102	542
4	बिहार	520	687	53	-
5	छत्तीसगढ़	618	2,283	780	584
6	गोवा	77	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-
8	हरियाणा	21	22	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-
10	झारखंड	-	-	-	-
11	कर्नाटक	2,350	4,029	-	5,438
12	केरल	14,312	6,709	4,688	983
13	मध्य प्रदेश	533	564	374	568
14	महाराष्ट्र	-	2,500	7,700	13,990
15	मणिपुर	-	293	228	109
16	मेघालय	-	64	6	12
17	मिज़ोरम	-	-	-	-
18	नागालैंड	-	-	39	-
19	ओडिशा	-	-	-	-
20	पंजाब	770	484	1,675	4
21	राजस्थान	-	-	-	-
22	सिक्किम	454	121	-	-
23	तमिलनाडु	595	1,121	1,560	28
24	तेलंगाना	35,258	9,597	2,546	2,697
25	त्रिपुरा	-	-	-	-
26	उत्तर प्रदेश	3,951	3,488	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-
28	पश्चिम बंगाल	1,089	1,089	-	-